झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1080 वर्ष 2017

शिवेश्वर हजाम, पे0 सुखलाल हजाम, निवासी ग्राम–हुरूनडीह, डाकघर–रारगांव, थाना–तामार, जिला–रांची, झारखण्ड।

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

1.झारखण्ड राज्य।

2. सचिव, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–रांची

3. उपायुक्त, रांची, डाकघर, थाना एवं जिला–रांची, झारखण्ड

4. जिला शिक्षा अधीक्षक, रांची, डाकघर, थाना और जिला–रांची

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री अनिल कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री चंदना कुमारी, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– श्री श्रीजीत चौधरी, वरिष्ठ एस0सी0–III

09/दिनांकः10 मई, 2017

प्रमाथ पटनायक, न्याया0 के अनुसार

प्रत्यर्थी–राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ एस0सी0–III श्री श्रीजीत चौधरी ने डी0एस0ई0, रांची द्वारा दिनांक 22.04.2017 को जारी किए गए रिकॉर्ड पत्र सं0 1261 को अभिलेख पर लाया, जिसमें यह कहा गया है कि जिला स्थापना समिति ने याचिकाकर्ता की नियुक्ति को कानूनी रूप से उचित पाया है, तदनुसार याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस से मुक्त कर दिया गया है।

जहां तक याची के वेतन के भुगतान के संबंध में प्रार्थना का संबंध है, जो उसकी नियुक्ति के बाद देय है, प्रत्यर्थी–डी0एस0ई0 के निर्देश पर, जो न्यायालय में उपस्थित है, यह कहा गया है कि चूंकि याची की नियुक्ति सही पाई गई है, इसलिए यदि पहले से भुगतान नहीं किया गया है तो वेतन के विरूद्ध देय का भुगतान किया जाएगा।

प्रतिवादी–राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए स्पष्ट कथन को ध्यान में रखते हुए, कुछ भी तय करना बाकी नहीं है।

इसलिए, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)